राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2987/2023

अजय मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।
3. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।
4. लाइजन ऑफिसर, एस.एसी/एस.टी./ओ.बी.सी./डिसेबल नर्सन, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2023
आदेश की दिनांक : 19.10.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा वाणिज्यिक सहायक प्रथम व वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के पदों के लिए अगस्त 2011 में विज्ञापन जारी किया गया जिसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए नोन टीएसपी क्षेत्र के लिए अनुसूचित जन जाति के कुल 7 पद सुरक्षित थे जिनमें दो महिला व 5 अन्य एसटी में जनरल के कलए आरक्षित थे और वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के लिए कुल 11 पद आरक्षित थे जिनमें तीन पद महिला व अन्य जनरल एसटी के लिए आरक्षित थे (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी ने उक्त विज्ञापन की अनुपालना में भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ। वाणिज्यिक सहायक प्रथम व द्वितीय की एक ही परीक्षा का आयोजन किया गया था और मेरिट के आधार पर सर्वप्रथम वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर नियुक्ति दी गई ततपश्चात वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के पद पर मेरिट के अनुसार नियुक्तियां दी गई। विभाग द्वारा जो चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्तांक व मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की

जिसमें अपीलार्थी को 66.20 प्रतिशत अंक होने के आधार पर चयनित किया गया (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.2.2012 (अनुलग्नक–5) द्वारा वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाकाल पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। अनुसूचित जन जाति के 7 पदों के लिए 7 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई जो नियुक्ति आदेश 22.2.2012 में जिन 7 एसटी के अभ्यर्थियों को नियक्ति दी गई थी उनमें से दो अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और ततपश्चात दिनांक 20.04.2012 (अनुलग्नक–6) को एसटी वर्ग में चयन सूची में मेरिट में रहे श्री विनोद कुमार मीणा व राकेश कुमार मीणा को नियुक्ति दी गई। दिनांक 20.04.2012 को ही एक अन्य आदेश द्वारा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय क्रमांक 565 चयन अभ्यर्थी मेरिट सूची में वाणिज्यिक सहायक प्रथम से निचला स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के पद पर नियुक्ति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग में क्रमांक दो पर अंकित है। अपीलार्थी वाणिज्यिक सहायक द्वितीय की नियुक्ति सूची में कमांक दो पर है इसलिए मेरिट के आधार पर अपीलार्थी वाणिज्यिक प्रथम के पद पर नियुक्त होने का पूर्ण अधिकारी था। अपीलार्थी को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के पद पर जो नियुक्ति दी गई थी उसकी पालना में विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी को वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर दो एसटी के अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के आधार पर मेरिट के आधार पर वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिये थी। इस संबंध में कथन है कि आगामी वर्ष में जो वाणिज्यिक सहायक प्रथम व वाणिज्यिक सहायक द्वितीय का विज्ञापन जारी कर नियुक्ति दी गई वह नियुक्ति एक ही दिन में दी गई और वाणिज्यिक सहायक प्रथम और वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के पद की मेरिट के आधार पर अलग अलग नियुक्ति आदेश जारी किये गये लेकिन वाणिज्यिक सहायक प्रथम पर नोन ज्वाईनिंग अभ्यर्थियों के स्थान पर वाणिज्यिक सहायक, द्वितीय से कमोन्नत करते हुए मेरिट में आ रहे अभ्यर्थियों को नोन ज्याइनिंग के स्थान पर वाणिज्यिक सहायक प्रथम में नियुक्ति दी गई। इससे स्पष्ट है कि यदि वाणिज्यिक सहायक प्रथम पर कोई कार्यग्रहण नहीं करता है तो वाणिज्यिक सहायक द्वितीय पर नियुक्त वरिष्ठतम अभ्यर्थी को वाणिज्यिक सहायक प्रथम नियुक्ति दी जानी चाहिये जैसाकि आगामी वर्ष की रिक्तियों में किया गया (अनुलग्नक–7 से 9)। विभाग द्वारा दिनांक 01.04. 2017 की स्थिति में वाणिज्यिक सहायक प्रथम की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2018 (अनुलग्नक–10) एवं वाणिज्यिक सहायक द्वितीय की

अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 11.05.2018 (अनुलग्नक–11) जारी किया गया, जिससे अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि वाणिज्यिक सहायक प्रथम पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में जिन दो अभ्यर्थियों को नोन ज्वाईनिंग के आधार पर नियुक्ति दी गई थी उनका नाम भी सूची में नहीं है। अपीलार्थी ने जब इस बारे में विभाग से जानकारी चाही और अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि उन दो अभ्यर्थियों ने भी विभाग में वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर कार्यग्रहण नहीं किया था। विभाग का यह दायित्व था कि उनके कार्यग्रहण नहीं करने के आधार पर मेरिट सूची में आगामी दो अभ्यर्थियों को वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिये थी। विभाग द्वारा वाणिज्यिक सहायक प्रथम की अंतिम वरिष्ठता सूची 02.05.2018 को जारी की गई ततपश्चात अपीलार्थी ने वर्ष 2018 में ही अपना प्रतिवेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और लगातार अपीलार्थी प्रयास करता रहा कि उसे नियमानुसार वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर नियुक्ति दी जाय। उप निदेशक (सांख्यिकीय) एवं साइजन ऑफिसर अजमेर ने प्रबंध निदेशक को इस संबंध में 10 पत्र भेजे और प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिए निवेदन किया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–12 एवं 13)। अपीलार्थी के उक्त प्रतिवेदन देने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उच्च अधिकारियों ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार में यह मांग की उसके प्रतिवेदन पर क्या निर्णय लिया गया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–14)। अपीलार्थी परेशान होकर उक्त सूचना राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद प्रस्तुत किया तो उस परिवाद के क्रम में अप्रार्थी द्वारा पोर्टल पर जवाब में यह स्वीकार किया कि 2011–12 की जो भर्ती थी उक्त भर्ती में अनुसूचित जनजाति के दो अभ्यर्थी नोन ज्वाईनिंग थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि निगम आदेश दिनांक 09.08.2011 द्वारा वाणिज्यिक सहायक प्रथम व द्वितीय भर्ती प्रक्रिया संपादित करने से संबंधित शर्तें निर्धारित की गई, जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति हेतु पात्र पाए गए जिनको नियुक्ति प्रदान नहीं की गई. उनका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची 12 माह तक प्रभावी रहेगी (अनुलग्नक–15)। विभाग से अपीलार्थी द्वारा आरटीआई में इस संबंध में सूचना चाही गई थी वो सूचना विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17 जुलाई 2023 को उपलब्ध करायी गयी जिसमे एक मात्र आधार यह अंकित किया गया कि प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना है इसलिए इस पर विचार किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में

कथन है कि अपीलार्थी ने तो विभाग को इस तथ्य की जानकारी मिलते ही वर्ष 2018 में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और उच्च अधिकारियों ने प्रबंध निदेशक को लगभग 10 रिमाईण्डर भी इस आशय के भेज दिये थे कि अपीलार्थी के प्रतिवेदन का निस्तारण किया जाये लेकिन विभाग द्वारा ही लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं उक्त प्रकरण अजमेर विद्युत वितरण निगम की संचालक मंडल की 289वीं मीटिंग 10 मार्च 2023 अर्थात अपीलार्थी द्वारा आपत्ति देने के पांच वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किया गया। विभाग ने स्वयं ने ही अपीलार्थी के प्रतिवेदन को पांच वर्ष के बाद विचार में रखा गया तो विभाग अब अपीलार्थी द्वारा उठाये गये प्रकरण को विलम्ब के आधार पर खारिज नहीं कर सकता (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.09.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा एक विधिक नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाया लेकिन उक्त नोटिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को विज्ञापन वर्ष 2011 में उत्तीर्ण होने व मेरिट सूची में आने के आधार पर वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर वर्ष 2011–12 भर्ती प्रक्रिया में वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पद पर नियुक्ति दी जावे।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना

अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य